न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–597 / 2026

कुन्दन कुमार बनाम् बिहार सरकार

जुड़ावनपुर थाना कांड संख्या–77 / 2026

अंतर्गत धारा–25(1–बी)a, 26 आर्म्स एक्ट।

21-05-2026

जुड़ावनपुर थाना कांड संख्या–77 / 2026, धारा–25(1–बी)a, 26 आर्म्स एक्ट में अभिरक्षाधीन आवेदक **कुन्दन कुमार उम्र–32 वर्ष पेसर–बिपिन कुमार सिंह** साकिन–चकसिंगार थाना–जुड़ावनपुर, जिला–वैशाली, जो दिनांक–06.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, में धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री जय प्रकाश कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना।

Web copy not Official

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–05.04.2026 को समय 16:00 बजे सूचक को गुप्ता सूचना मिली कि चकसिंगार, थाना–जुड़ावनपुर, जिला–वैशाली स्थित कुन्दन कुमार के घर पर अवैध हथियार रखा हुआ है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचक वरीय पदाधिकारी को अवगत करते हुए सूचक सशस्त्र बल के साथ समय करीब 16.50 बजे कुन्दन कुमार के घर का घेराबंदी कर उसके घर के अंदर प्रवेश किया जहां एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पूछने पर अपना नाम कुन्दन कुमार बताया। उसके बाद तलाशी नियमों का पालन करते हुए तलाशी किया गया। तलाशी के क्रम में घर के अंदर सीढ़ी से सटे बाएं तरफ के कमरे में रखे ट्रंक के अंदर कपड़ों के नीचे से एक देशी कट्टा जिसे अनलोड करने पर बैरल खाली पाया गया एवं आठ जिंदा कारतूस एवं एक नाली बंदूक तीन भाग में खुला हुआ बरामद हुआ। बरामद आग्नेयास्त्र एवं कारतूस का वैद्य कागजात की मांग करने पर कुन्दन कुमार के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जबाव दिया गया। उसके बाद विधिवत तलाशी सह जप्ती सूची एवं ई साक्ष्य पर विडियों बनाया गया। उसके बाद कुन्दन कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उसे मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक दिनांक–06.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढंन्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक का तथाकथित कमरे में बक्से से कोई लेना–देना नहीं है जिससे हथियार बरामद किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि वास्तविकता यह है कि

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–597 / 2026

कुन्दन कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

21.05.2026

सूचक की सौतेली मां ने खुद ही हथियार रखी थी और पुलिस को सूचना देकर हथियार बरामद करवाये थे, उक्त तथ्य को ग्रामीणों ने स्वीकार किया था। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक दिनांक–06.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है और उसके घर के अंदर सीढ़ी से सटे बाएं तरफ के कमरे में रखे ट्रंक के अंदर कपड़ों के नीचे से एक देशी कट्टा जिसे अनलोड करने पर बैरल खाली पाया गया एवं आठ जिंदा कारतूस एवं एक नाली बंदूक तीन भाग में खुला हुआ बरामद हुआ है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 04, 05, 06, 07 एवं 08 में अंकित बयान में साक्षी द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 32 से विदित होता है कि उक्त बरामद देशी आग्नेयास्त्र कारगर पाया गया है। आवेदक के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत आवेदक को वाद के इस स्तर पर नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक का नियमित जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो आरोप–पत्र समर्पित होने के पश्चात् जमानत हेतु पुनः आवेदन दे सकते हैं।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official